न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ

मुकदमा नम्बर 62/2020 निर्णय दिनांकः09.12.2020

कालूनाथ पुत्र स्वरूपनाथ जाति नाथ निवासी रिड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

–प्रार्थी–

बनाम

1.स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ।
2.गणेशनाथ पुत्र स्वरूपनाथ जाति नाथ निवासी रिड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ।
3.रतननाथ पुत्र सुरजनाथ जाति नाथ निवासी रिड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ।
4.राकेशनाथ पुत्र मालनाथ जाति नाथ निवासी रिड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ।
5.रामेश्वरनाथ पुत्र स्वरूपनाथ जाति नाथ निवासी रिड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ।
6.शान्तिदेवी पत्नि छगननाथ जाति नाथ निवासी रिड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ।

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–

1. श्री बृजलाल बारोटिया अभिभाषक वादी
2. श्री सुनील कुमार माली अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 02 ता 06
3. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से।

अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

यह प्रार्थना पत्र कालूनाथ ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ग्राम रिड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ का स्थाई निवासी है। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 36 तादादी 27.25 हैक्टेयर मय गैरमुमकिन रास्ता 0.3100 हैक्टेयर रोही रिड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/8 हिस्सा है। प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम कालूनाथ पुत्र स्वरूपनाथ जाति नाथ निवासी रिड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ है व प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड व मतदाता पहचान–पत्र में भी प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम कालूनाथ पुत्र स्वरूपनाथ जाति नाथ निवासी रिड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ दर्ज है लेकिन राजस्व कर्मचारियों की भूलवंश प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 36 तादादी 27.25 हैक्टेयर रोही रिड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ के प्रार्थी का नाम लालूनाथ पुत्र स्वरूपनाथ जाति नाथ अंकित कर दिया है। प्रार्थी ने दिंनाक 28.09.2020 को अपने उक्त खेतो पर के. सी. सी. बनाने के लिये हल्का पटवारी से उक्त खेतो के राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तो प्रार्थी को अपने खेत खसरा नम्बर 36 में अपना कालूनाथ के स्थान पर लालूनाथ दर्ज होने की जानकारी हुई। तब प्रार्थी ने हल्का पटवारी से नाम सही करने का निवेदन किया तो हल्का पटवारी ने प्रार्थी से कहा कि संक्षम न्यायालय से आदेश करवाओं तभी राजस्व रेकार्ड में संशोधन हो सकता है। उक्त खेत में प्रार्थी का गलत नाम दर्ज हो जाने से प्रार्थी अपने उक्त खेत पर के. सी. सी. नहीं बना पा रहा है जिससे प्रार्थी को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उक्त खेत प्रार्थी के खातेदारी के होने से व उक्त खेतों पर प्रार्थी का कब्जा–कास्त व उपयोग–उपभोग चले आने से प्रार्थी को उक्त खेतों के सम्बन्ध में वादाधिकार व वादहेतु प्राप्त है। उक्त खेत में अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 सहखातेदार है इसलिये उन्हे पक्षकार संयोजित किया गया है। उनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार होने से अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 के हितो पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा। उक्त खेत रोही रिड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। इसलिये इस न्यायालय को उक्त प्रार्थना–पत्र को सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जानकारी से अन्दर मियाद पर पेश है व पूर्ण न्यायशुल्क पर पेश हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:04:03 IST
Reason: SelfAttested

Divya
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि–

प्रार्थी के सुंयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 36 तादादी 27.25 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन रास्ता 0.31 हैक्टेयर रोही रिड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ में प्रार्थी का नाम लालूनाथ पुत्र स्वरूपनाथ जाति नाथ के स्थान पर कालूनाथ पुत्र स्वरूपनाथ जाति नाथ अंकित कर उक्त खेत के राजस्व रेकार्ड में संशोधन किये जाने का आदेश प्रदान करे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथीगण संख्या 02 ता 06 की तरफ से अधिवक्ता ने इकबालिया जवाब पेश किया एवं स्टेट की तरफ से पैरोकार राज ने जबाब पेश किया। यदि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाता है तो हमे कोई आपति नही है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण एवं स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपति नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी के सुंयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 36 तादादी 27.25 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन रास्ता 0.31 हैक्टेयर रोही रिड़ी तहसील श्रीडूंगरगढ में प्रार्थी का गलत नाम लालूनाथ पुत्र स्वरूपनाथ जाति नाथ के स्थान पर शुद्ध नाम कालूनाथ पुत्र स्वरूपनाथ जाति नाथ अंकित करने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करें।

आदेश आज दिनांक 09.12.2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:04:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner